

150

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र.

12016 R4277-#16

831

हरिओम शर्मा तत्कालीन पटवारी,
निवासी- दुबे कालोनी अशोकनगर
तहसील व जिला अशोकनगर(म.प्र.)

श्री विरगद मागव माग
द्वारा आज दि. 21/12/16 को
प्रस्तुत

---आवेदक

क्लर्क ऑफ कोर्ट 21-12-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरुद्ध

म.प्र. राज्य द्वारा कलेक्टर

---अनावेदक

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा
प्रकरण क्रमांक क्यू/री1/2016 में पारित आदेश
दिनांक 08/12/2016, के विरुद्ध म.प्र.
भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 (1) के
अधीन पुनरीक्षण

विनोद मागव
अशोकनगर
21-12-2016

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य:

1. यहकि, आवेदक पूर्व में तहसील अशोकनगर में पटवारी के पद पर पदस्थ था वर्तमान में तहसील पिपरई में पदस्थ है।
2. यहकि, अशोकनगर मौजा के तुलसी सरोवर तालाब की पार के पीछ स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 623 एवं 624 के पुराने नक्शा जीड़-सीड़ होने से अधीक्षक भू-अभिलेख, अशोकनगर द्वारा नवीन नक्शा संशोधित किया गया था। आवेदक द्वारा केवल पुरानी नक्शा का मिलान किया गया था अर्थात आवेदक द्वारा सर्वे क्रमांक 623 एवं 624 पर कोई अवैध निर्माण नहीं कराया गया है और किसी भी शासकीय अभिलेख में छेड़खनी नहीं की गई है।
3. यहकि, सर्वे क्रमांक 624 एवं 626 के बटांकन हेतु विजय स्वरूप पुत्र आनेद स्वरूप द्वारा तहसीलदार महोदय, अशोकनगर के समक्ष आवेदन किया गया था जिस पर प्रकरण क्रमांक

1/19


राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-----

निगरानी प्रकरण क्रमांक 4277-दो/2016

जिला अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं आदि के हस्ता
06-01-17	<p>यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक क्यू/री-1/2016 में पारित आदेश दिनांक 8-12-2016 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक श्री आर0डी0शर्मा एवं जी0पी0नायक तथा मध्य प्रदेश शासन के पैनल लायर श्री डी0के0शुक्ला के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।</p> <p>3/ अनावेदक के अभिभाषक ने बताया कि मामला पटवारी के विरुद्ध कार्यवाही का है इसलिये संहिता की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी सुनवाई योग्य नहीं है। आवेदक के अभिभाषक ने बताया कि मूल मामला तुलसी सरोवर तालाब की पार के पीछे की भूमि सर्वे क्रमांक 623 एवं 624 के नक्शा विवाद पर भूमि की सीमाओं के बटौकन पर आधारित होने से शासकीय अभिलेख में छेड़खानी करने के आधार पर पटवारी पर आरोप लगाये गये हैं इसलिये संहिता की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी श्रवण योग्य है।</p> <p>उभय पक्ष के अभिभाषकों तर्कों पर विचार करने एवं संहिता की धारा 104 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि इस धारा के अंतर्गत पटवारी के हलकों की विरचना तथा उनमें</p>	

निगरानी प्र०क० 4277-दो/2016

पटवारियों की नियुक्ति की कार्यवाही की जाती है। मांगीलाल विरुद्ध म०प्र०राज्य तथा अन्य 1995 रा०नि० 67 में न्यायमूर्ति श्री आर०डी०शुक्ला म०प्र०हाई कोर्ट एवं चन्द्रमणि प्रसाद विरुद्ध म०प्र०राज्य तथा अन्य एक 1994 रा०नि० 217 में न्यायमूर्ति श्री एस०के०दुबे तथा न्यायमूर्ति श्री एस०के०चावला ने व्यवस्था दी है कि यद्यपि एम०पी०सिविल सर्विसेज क्लासीफिकेशन कन्ट्रोल एंड अपील रूल्स 1966 के अंतर्गत विभागीय जांच करके पटवारी को सेवामुक्त किया गया, परन्तु ऐसा आदेश धारा 104 (2) के अंतर्गत माना जायेगा। इसलिये पटवारी को सेवा मुक्त करने के आदेश के विरुद्ध अपील पुनरीक्षण धारा 46 ई के अंतर्गत बर्जित नहीं है। स्पष्ट है कि पटवारी के विरुद्ध अंतरिम आदेश से की गई कार्यवाही के विरुद्ध राजस्व मण्डल में निगरानी श्रवण योग्य है।

4/ कलेक्टर भू अभिलेख जिला अशोकनगर के पत्र क्रमांक 1553/भू अभि./ स्था/2016 दि. 29-11-16 के अवलोकन पर पाया गया कि इस पत्र में इस प्रकार अंकन कर अनुविभागीय अधिकारी को निर्देश दिये गये हैं :-

तुलसी सरोबर तालाब की पार के पीछे स्थित सर्वे क्रमांक 623 एवं 624 में अवैध निर्माण कराये जाने एवं शासकीय अभिलेखों में छेड़खानी किये जाने के संबंध में तत्कालीन पटवारी अशोकनगर श्री हरओम शर्मा वर्तमान पदस्थापना पिपरई के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा प्रचलित नस्ती पर पटवारी श्री हरिओम शर्मा के निलम्बन एवं एफ०आई०आर० की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं। अतः आप संबंधित पटवारी श्री हरिओम शर्मा के विरुद्ध निलम्बन एवं एफ०आई०आर० की कार्यवाही कर की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर ने प्रकरण क्रमांक क्यू/री-1/2016 में पारित आदेश दिनांक 8-12-2016 से कलेक्टर के आदेश का पालन किया है। जब पटवारी द्वारा किये



राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश - ग्वालियर


अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-----

निगरानी प्रकरण क्रमांक 4277-दो/2016

जिला अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं आदि के हस्ता.
	<p>गये दोष से सम्बन्धित अभिलेख का अवलोकन किया गया, स्थिति यह है कि तहसीलदार अशोकनगर के समक्ष विजय स्वरूप पुत्र आनन्दस्वरूप ने सर्वे क्रमांक 623 एवं 624 के बटांकन का आवेदन दिया था जिस पर प्रकरण क्रमांक 12 अ-3/15-16 कायम होकर राजस्व निरीक्षक से बटांकन प्रस्ताव लिये गये हैं एवं 29-1-16 को बटांकन आदेश दिया गया है। जहाँ तक नक्शे में सँशोधन आदि का प्रश्न है ? अभिलेख अनुसार नक्शे में सँशोधन अधीक्षक भू अभिलेख द्वारा किया गया है जिस पर अधीक्षक भू अभिलेख के हस्ताक्षर हैं जबकि अपचारी पटवारी के पुराने नक्शा से नवीन नक्शा के मिलान (कम्पेयर) के हस्ताक्षर है न कि नक्शा सँशोधित करने के हस्ताक्षर है। समस्त कार्यवाही तहसील-स्तर पर एवं अधीक्षक भू अभिलेख के स्तर पर हुई है जिसके कारण पत्र दिनांक 29-11-16 से पटवारी पर दोषारोपण कर निलम्बन की कार्यवाही कराने का निर्णय लेना एवं इसी क्रम में अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर द्वारा प्र0क0 क्यू/री-1/2016 में आदेश दिनांक 8-12-2016 पारित करना दूषित कार्यवाही होने से निरस्त किये जाने योग्य है।</p> <p>5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर भू अभिलेख जिला अशोकनगर द्वारा पत्र</p>	





राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-----

निगरानी प्रकरण क्रमांक 4277-दो/2016

जिला अशोकनगर


स्थान तथा
दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं
आदि के हस्त

क्रमांक 1553/भू अभि./ स्था/2016 दिनांक 29-11-16 से अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर को दिये गये निर्देश तथा अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक क्यू/री-1/2016 में पारित आदेश दिनांक 8-12-2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एवं निगरानी स्वीकार की जाती है।

P/1/14



सदस्य

XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश-ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक 4277-दो/2016 जिला अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के ह
19-1-17	<p>आवेदक हरिओम शर्मा के अभिभाषक उपस्थित। उन्होंने मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 32 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि राजस्व मण्डल म0प्र0 के प्र. क्र. 4277-दो/2016 निगरानी में पारित आदेश दि. 06-01-2017 में आदेश में भूलवश अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर टंकित हुआ है जबकि अशोकनगर के बजाय मुंगावली होना चाहिये।</p> <p>2/ अभिलेख एवं आदेश दिनांक 06-01-2017 के अवलोकन पर पाया गया कि आदेश के पृष्ठ 2 के पद एक की लायन नंबर एक में अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली के बजाय अशोकनगर टंकित हुआ है, आदेश के पृष्ठ 3 पर पद 4 की लायन नंबर 15 में अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली के बजाय अशोकनगर टंकित हुआ है, आदेश के पृष्ठ 4 की लायन नंबर 16 में तथा आदेश के पृष्ठ 5 की लायन नंबर 2 एवं 3 में भी अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर के बजाय मुंगावली होना चाहिये था, जबकि टंकण त्रुटि से अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर टंकित हुआ है। तदनुसार सँशोधन स्वीकार करते हुये अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर के स्थान पर अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली पढ़ा जाय। प्रकरण में अन्य कार्यवाही शेष न रहने से सँशोधन आवेदन स्वीकार कर प्रकरण इसी-स्तर पर समाप्त किया जाता है।</p>	




सदस्य